क्रम संख्या–157

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 जुलाई, 2022
श्रावण 5, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–2

संख्या 1682 / 33-2–2022-72जी-87टी0सी0
लखनऊ, 27 जुलाई, 2022

अधिसूचना

सा0प0नि0–46

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) नियमावली, 1972 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) नियमावली, 1972, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान उपनियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(1) "आकस्मिक व्यय" का तात्पर्य उस व्यय से है जो औषधियों, साधित्र, सज्जा, पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखन–सामग्री, फर्नीचर, डाक टिकटों के क्रय, ग्रीष्म और शीत कालीन मौसम व्यय, अंश कालिक अवर कर्मचारियों तथा मजदूरों के वेतन, कपड़े और वर्दी, कार्यालय किराया और अन्य लघु कार्यों के लिए व्ययों पर किया गया हो।	**(1) 'आकस्मिक व्यय"** का तात्पर्य उस व्यय से है, जो औषधियों, साधित्र, सज्जा, पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखन–सामग्री, फर्नीचर, डाक टिकटों के क्रय, ग्रीष्म और शीत कालीन मौसम व्यय, अंशकालिक अवर कर्मचारियों तथा मजदूरों के वेतन, कपड़े और वर्दी, कार्यालय किराया, विद्युत बिल, कम्प्यूटर और अन्य लघु कार्यालय व्ययों, जो 75,000 रू0 से अधिक न हों, के प्रयोजनार्थ किया गया हो।

नियम 8 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
8–व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी–	**8–व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी–**
कोई भी आकस्मिक व्यय उस समय तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नीचे निर्दिष्ट किए गए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न प्राप्त हो गई हो :–	कोई आकस्मिक व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक कि नीचे विनिर्दिष्ट किये गये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय :–

(क) जिला परिषद की दशा में –

(1) कार्याधिकारी	250 रूपए तक
(2) मुख्य अधिकारी अथवा अपर मुख्य अधिकारी	250 रूपए से ऊपर और 1,000 रूपए तक
(3) अध्यक्ष	1,000 रूपए से ऊपर और 2,500 रूपए तक
(4) परिषद	2,500 रूपए से ऊपर और 5,000 रूपए तक
(5) डिवीजन का आयुक्त	5,000 रूपए से ऊपर

(ख) क्षेत्र समितियों की दशा में–

(1) खण्ड विकास अधिकारी	250 रूपए तक
(2) प्रमुख	250 रूपए से ऊपर और 500 रूपए तक
(3) क्षेत्र समिति	500 रूपए से ऊपर और 1,000 रूपए तक
(4) डिवीजन का आयुक्त	1,000 रूपए से ऊपर

(क) जिला पंचायत की दशा में–

(1) कार्याधिकारी	2,500 रूपए तक
(2) मुख्य अधिकारी अथवा अपर मुख्य अधिकारी	2,500 रूपए से अधिक और 10,000 रूपए तक
(3) अध्यक्ष	10,000 रूपए से अधिक और 25,000 रूपए तक
(4) पंचायत	25,000 रूपए से अधिक और 50,000 रूपए तक
(5) डिवीजन का आयुक्त	50,000 रूपए से अधिक

(ख) क्षेत्र पंचायत की दशा में–

(1) खण्ड विकास अधिकारी	2,500 रूपए तक
(2) प्रमुख	2,500 रूपए से अधिक और 5,000 रूपए तक
(3) क्षेत्र पंचायत	5,000 रूपए से अधिक और 10,000 रूपए तक
(4) डिवीजन का आयुक्त	10,000 रूपए से अधिक

परन्तु यह कि इस नियमावली के अधीन उपगत व्यय, जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों के आकस्मिक शीर्ष (हेड) के अन्तर्गत प्राप्त कुल व्यय/धनराशि से अधिक नहीं होगा।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1682/XXXIII-2–2022-72G-87T.C., dated July 27, 2022 :

No. 1682/XXXIII-2–2022-72G-87T.C.

Dated Lucknow, July 27, 2022

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Zila Panchayat and Kshettra Panchayat (Contingent Expenditure) Rules, 1972.

THE UTTAR PRADESH ZILA PANCHAYAT AND KSHETTRA PANCHAYAT (CONTINGENT EXPENDITURE) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Zila Panchayat and Kshettra Panchayat (Contingent Expenditure) (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Zila Panchayat and Kshettra Panchayat (Contingent Expenditure) Rules, 1972, hereinafter referred to as the said rules, in rule 2 *for* sub-rule (1) set-out in Column-I below, the sub-rule as set-out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) **"contingencies"** means expenditure incurred for purpose of medicines, apparatus' equipment, books, periodicals, stationery, furniture, postage stamps, hot and cold weather charges wages or part-time menials and labour, clothing and liveries, office rent and other petty office expenses.	(1) **"contingencies"** means expenditure incurred for purpose of medicines, apparatus' equipment, books, periodicals, stationery, furniture, postage stamps, hot and cold weather charges wages or part-time menials and labour, clothing and liveries, office rent, electricity bill, computer and other petty office expenses, which does not exceed Rs. 75,000.

Amendment of rule 8

3. In the said rules, *for* rule 8 set-out in Column-I below, the rule as set-out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
8. **Authorities empowered to sanction expenditure-** No contingent expenditure shall be incurred unless sanction of the competent authority, as specified here under has been obtained :-	8. **Authorities empowered to sanction expenditure-** No contingent expenditure shall be incurred unless sanction of the competent authority, as specified here under has been obtained :-

COLUMN-I			COLUMN-II		
Existing rule			*Rule as hereby substituted*		
(A) In the case of Zila Parishad-			**(B) In the case of Zila Panchayat-**		
(i)	Karya Adhikari	up to Rs. 250	(i)	Karya Adhikari	up to Rs. 2,500
(ii)	Mukhya Adhikari or Apar Mukhya Adhikari	Above Rs. 250 and up to Rs. 1,000	(ii)	Mukhya Adhikari or Apar Mukhya Adhikari	Above Rs. 2,500 and up to Rs. 10,000
(iii)	Adhyaksha	Above Rs. 1,000 and up to Rs. 2,500	(iii)	Adhyaksha	Above Rs. 10,000 and up to Rs.25,000
(iv)	Parishad	Above Rs. 2,500 and up to Rs. 5,000	(iv)	Panchayat	Above Rs. 25,000 and up to Rs.50,000
(v)	Commissioner of Division	Above Rs. 5,000	(v)	Commissioner of Division	Above Rs. 50,000
(B)	**In the case of Kshettra Samitis -**		**(B)**	**In the case of Kshettra Panchayats -**	
(i)	Khand Vikas Adhikari	Up to Rs. 250	(i)	Block Development Officer	Up to Rs. 2,500
(ii)	Pramukh	Above Rs. 250 and up to Rs. 500	(ii)	Pramukh	Above Rs. 2,500 and up to Rs. 5,000
(iii)	Kshettra Samitis	Above Rs. 500 and up to Rs. 1,000	(iii)	Kshettra Panchayat	Above Rs. 5,000 and up to Rs. 10,000
(iv)	Commissioner of Division	Above Rs. 1,000	(iv)	Commissioner of Division	Above Rs. 10,000

Provided that the expenditure incurred under this rule shall not be more than the total expenditure/amount received under contingency head of Zila Panchayats and Kshettra Panchayats.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 338 राजपत्र–2022–(553)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 पंचायती राज–2022–(554)–1,000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

338 RPH (Panchaytiraj-2) 2022 data-4e